राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 564/2010/चित्तौडगढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट पचम, मुख्यालय निम्बाहेडा, वृत चित्तौडगढ़। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स भारत त्रिपाल स्टोर, निम्बाहेडा। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 195/आरएसटी /08–09 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट पचम, मुख्यालय निम्बाहेडा, वृत चित्तौडगढ़ (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2008 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(4) के तहत आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के लेखा पत्र प्रस्तुत किये जिसमें त्रिपाल की बिक्री 2,52,621/– कर मुक्त दर्शाई है एवं रूपये 25,939/– की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर जमा कराया है। प्रत्यर्थी को नियम 41 के तहत अवसर प्रदान करते हुए पूछा गया कि त्रिपाल का नाम कर दर की अधिसूचना में अंकित नहीं होने से क्यों नहीं सामान्य कर दर से करारोपण किया जाये। जिसका कोई जवाब प्रत्यर्थी की ओर से पेश नहीं किया गया। अतः सशक्त अधिकारी ने करमुक्त बिक्री 2,52,621/–को अस्वीकार कर 12 प्रतिशत से एवं 4 प्रतिशत के अंतर्गत दर्शाई गई प्लास्टिक त्रिपाल की बिक्री पर अन्तर कर 8 प्रतिशत से एवं ब्याज आरोपित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.08.2009 के द्वारा स्वीकार कर अधिक आरोपित अन्तर कर को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्लास्टिक रॉल एवं कॉटन क्लॉथ की बिक्री की है जो कि बरसात से रक्षा के कार्य में आता है, जो कि कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी ने सही तौर पर कर का आरोपण किया गया था जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक त्रुटि कारित की है अतः उन्होंने कर को पुनः बहाल करने का निवेदन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्लॉस्टिक रॉल एवं कॉअन क्लॉथ की बिक्री की है जो कि बरसात से रक्षा के कार्य में आता है। उक्त बिक्री पी वी सी क्लॉथ एवं कोटेड कॉटन क्लॉथ की श्रेणी की है, जिस पर विभाग द्वारा उपयोग के आधार पर जनरल रेट आरोपित की गई। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में (2007) 19 टैक्स अपडेट 66 तथा 1988 (71) एस टी सी 10 प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने आपत्ति की कि विचारों की भिन्नता के आधार पर धारा 30 में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षो की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। त्रिपाल कर दर की अधिसूचना में अंकित नहीं है, इसलिये उस पर सामान्य दर से कर आरोपित किया गया। यह सत्य है कि त्रिपाल का नाम कर अधिसूचना में नहीं है लेकिन वस्तुतः विशिष्ट उपयोग के आधार पर कर दर नहीं बदल जाती है। व्यवसायिक जगत में यह कोटेड कॉटन फैब्रिक्स या प्लास्टिक रॉल्स है। इसका समर्थन निम्न वाद में है :–

"Taurpaulin" and "PVC Rexine Cloth " are covered by the terms cotton fabrics as has been held in (1998) 71-STC-10(Karnataka) and mere stitching of the four corners and even providing eyelets does not change its character as has been held in (1987) 22-STI-109 (T.N. Trib).

जिससे प्रकट है कि विशिष्ट प्रयोग के आधार पर गुडस की श्रेणी नहीं बदल जाती है। सामान्य व्यवहार की दृष्टि से क्रय किया गया माल कोटेड कॉटन फैब्रिक्स एवं प्लास्टिक रॉल्स ही है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विभाग की द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य